न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 10 / 2021 दायर दिनांक 23.11.2021

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया नामान्तरण सं 1061 दिनांक 05.10.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 23.11.2021

–ः निर्णयः–

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रशासन गांवों के संग अभियान –2021 ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया में तहसीलदार कपासन ने इस आशय की प्रस्तुत की, मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के द्वारा नामान्तरण संख्या 1061 दिनांक 05.10.2021 को खोला गया। उक्त निर्णित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 342, 33, 79 अन्तर्गत ग्राम तस्वारिया नामान्तरण संख्या 1061 जो कि मृत्तक खातेदार लेहरी पत्नि उदेराम (उदयलाल) जाट की मृत्यु के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा जारी किया गया। जिसमें उक्त मृत्तक खातेदार लेहरी पत्नि उदेराम का खाता संख्या 33 में हिस्सा 2/3, खाता संख्या 79 में 1/3 तथा खाता संख्या 342 में सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। उक्त मृत्तक खातेदार की विरासत से ग्राम तस्वारिया की नामान्तरण [illegible] पूर्व में प्रार्थी मोहनलाल जाट मुतबन्ना उदयराम के गोद सम्बन्धी कोई [illegible] व [illegible]स्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे जिससे नामान्तरण संख्या 1061 [illegible] गया। उक्त नामान्तरकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] द्वारा की [illegible] व ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] किया गया जो कि मानवीय भूल है, क्योंकि लेहरी [illegible] पति उदयराम पुत्र [illegible] जाति जाट ने मोहनलाल पुत्र रामलाल को गोद रखा था, जिसमें नामान्तरण विरासत भरा जाकर निर्णित हुआ। जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी को राहत प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु राजस्व विभाग की मानवीय भूल के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। नामान्तरकरण संख्या 1061 ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किया गया जिसे शुद्ध किया जाना है जो कि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्व ग्राम तस्वारिया के नामान्तरकरण संख्या 1061 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें जिससे कि सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाजिर होकर अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तस्वारिया के नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 05.10.2021 सहवहन से गलत दर्ज हो गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त करवाया जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । साथ ही आदेशिका पर अनापत्ति अंकित कर हस्ताक्षर किये।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत भट्टों का बामनिया द्वारा पारित राजस्व ग्राम तस्वारिया के आदेश इन्तकाल संख्या 1061 दिनांक 05.10.2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक लेहरी के वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:49 IST
Reason: SelfAttested